

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 35 10

दिनांक:- 20/12/23

आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्षे. (व0ग0)	गृ.नि.स.स. /निजी खातदारी योजना/ जविप्रा. योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती अन्नमा सिरियक पत्नी श्री बी. जे. शाह जी	स्वयं	89	310	श्यामपुरी गृ.नि.स.स.	कृष्णा विहार	लीजडीड	सदस्य सूची में किसी अन्य व्यक्ति नाम अंकित होने से

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/103102

दिनांक : 19/12/2023

लोक सूचना

श्री तुलसीदास त्रिलोकानी पुत्र श्री हरचन्द्र राय त्रिलोकानी निवासी 7-प-4, जवाहर नगर, जयपुर व हरिसिंह चौधरी पुत्र स्व. श्री विजेन्द्र सिंह निवासी 28, नीलकण्ठ कालोनी, क्वीस रोड अजमेर रोड, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल हैक्ट.
1.	ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर (जयपुर)	श्री तुलसीदास त्रिलोकानी पुत्र श्री हरचन्द्र राय त्रिलोकानी हि. 500/881 जाति सिंधी निवासी 7-प-4, जवाहर नगर, जयपुर व हरिसिंह चौधरी पुत्र स्व. श्री विजेन्द्र सिंह हि. 381/881 जाति जाट निवासी 28, नीलकण्ठ कालोनी, क्वीस रोड अजमेर रोड, जयपुर	710/838 953/710	0.4932 0.8283
कुल किता			02	1.3215 हैक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19-12-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर